उत्तर प्रदेश नगर निगम/नगर निकाय सीमान्तर्गत चलित ई-रिक्शा के विनियमन की उप-विधि

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 451, 452 व 541 (41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम/नगर निकायों की सीमान्तगत चलित ई-रिक्शा के विनियमन की उप-विधि ।

1- यह उपविधि नगर निगम सीमान्तर्गत ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन विनियमित एवं नियंत्रित करने की उप-विधि कहलायेगी।

2- परिभाषा - इन उपविधियों में अब तक विषय अथवा प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो।

(क) अधिनियम का तात्पर्य नगर निगम अधिनियम 1959 से है।

(ख) सीमान्तर्गत से तात्पर्य नगर निगम/नगर निकाय की सीमा से है तथा भविष्य में संशोधित सीमायें भी इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी।

(ग) नगर आयुक्त/ का तात्पर्य सम्बन्धित नगर निगम के नगर आयुक्त से है।

(घ) अनुज्ञप्ति अधिकारी से तात्पर्य नगर आयुक्त जिस अधिकारी को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु नामित करें जो राजस्व से सम्बन्धित अधिकारी से है।

(ड) अनुज्ञप्ति ग्रहिता का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निजी ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन चलाने की अनुमति प्राप्त किया हो।

(च) अनुज्ञप्ति ग्रहिता का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ई-रिक्शा किराये पर एक से अधिक ई-रिक्शा चलवाये जाने की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

लाइसेंस की शर्त एवं नियम-

नगर निगम/नगर निकाय की सीमान्तर्गत अनुज्ञप्ति अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई ई-रिक्शासवारी/ई-कार्टस/ई-भार वाहन नही चलाया जा सकता है।

1. ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन सुदृढ तथा चालू अवस्था में हो।

2. ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन चालक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष होगी तथा चालक स्वस्थ्य हो तथा किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हो रिक्शा पंजीकरण एवं नवीनीकरण कराते समय चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासन द्वारा स्वीकृत आकार व स्वरूप के अनुरूप हो।

3. ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन की छतरी-पानी रोकने वाले वस्त्र अथवा अन्य पदार्थ की हो और सवारी सीट के अन्दर कुशन का अस्तर हो अथवा रैक्सीन की बनी हो।

4. ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन मे हेड लाइट घण्टी और खतरा सुचना लालबत्ती बीच में पीछे हो।

M

5. नगर निगम/नगर निकाय द्वारा अनधिकृत रूप से पकडे गये ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन चलित पर रूपये 20.00 प्रतिदिवस अर्थदण्ड देय होगा 15 दिवस के पश्चात नगर आयुक्त अथवा अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा ई-रिक्शा स्वामी को सूचना देकर और दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराने के पश्चात ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन को नीलाम कर दिया जायेगा। नीलामी अवधि समाप्त होने से पूर्व समस्त व्यय और अवशेष अनुज्ञप्ति शुल्क के देने पर ई-रिक्शा मुक्त करा सकेगा।

6. ई-रिक्शा सवारी, यातायात विभाग द्वारा चिहिन्त मार्गो पर ही चलाने की अनुमति दी जायेगी, यदि प्रतिबन्धित मार्गो पर ई-रिक्शा सवारी चलता पाया गया उसके विरूद्ध अर्थदण्ड ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

7. समस्त ई-रिक्शा चालाको को सम्भागीय परिवहन विभाग से जारी वाहन का चालक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

<u>अनुज्ञप्ति गृहिता को निम्नलिखित प्रतिबन्धों का पालन करना आवश्यक होगा -</u>

1. कोई भी अनुज्ञप्ति गृहिता न तो किसी निषेध द्रव्य का प्रयोग करेगा न ही किसी ई-रिक्शा में बैठने वाली सवारी को ऐसा करने देगा, किसी भी प्रकार मद्यपान जिसमें एल्कोहल हो का प्रयोग अथवा सेवन नही करेगा।

2. नगर आयुक्त एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन का लाइसेंस का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

3. अनुज्ञप्ति अधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई अनुज्ञप्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्थान के नाम से परिवर्तित अथवा हस्तान्तरित नही किया जायेगा।

4. नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा नामित अनुज्ञप्ति अधिकारी उप-विधि से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति जारी करेगा और वही अनुज्ञप्ति अधिकारी होगा।

5. प्रत्येक अनुज्ञप्ति जो उप-विधि के अधीन स्वीकार किया जायेगा, उसकी अवधि वित्तीय प्रतिवर्ष 1 अप्रैल, से 31 मार्च के लिए मान्य होगा। अनुज्ञप्ति प्राप्त करने या नवीनीकरण कराने के लिए प्रार्थना-पत्र 31 मई तक प्राप्त करना होगा। निर्धारित अवधि (31 मई से पूर्व 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी) के पश्चात प्राप्त अनुज्ञप्ति करने या नवीनीकरण प्रार्थना-पत्रों पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 20 प्रतिशत शुल्क देय होगा। प्रथम बार इस नई नियमावाली के प्रभावी दिनांक से अगले 02 माह की अन्तिम दिनांक तक 10 प्रतिशत छूट देय होगी। तत्पश्चात् निर्धारित शुल्क पर 20 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा।

6. उप-विधि का उल्लंघन करने पर नगर आयुक्त/नामित अनुज्ञप्ति अधिकारी/कर अधीक्षक लाइसेंस किसी भी अनुज्ञा को निलम्बित/रद्द कर सकता है तथा बिना अनुज्ञा ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन के संचालक के विरूद्ध विधि कार्यवाही अथवा दण्डित करने हेतु सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही

एवं नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 550 (क) (ख) के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत कर सकता है।

7. अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित अथवा रद्द करने अथवा अन्य इस उप-विधि से संबंधित किसी आदेश के विरूद्ध की तिथि से 15 दिन में प्रतिवेदन नगर आयुक्त के नाम प्रेषित किया जा सकता है। जिसमें नगर आयुक्त का निर्णय मान्य होगा। यदि नगर आयुक्त आवश्यक समझें तो प्रकरण बोर्ड को सन्दर्भित किया जा सकता है। जिसमें बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा। इस उप-विधि के अन्तर्गत निम्नलिखित शुल्क देय होगा :-

1. निजी ई-रिक्शा सवारी 05 सीटर (मय चालक) वार्षिक दर रूपये 800.00।

2. निजी ई-रिक्शा भार वाहन वार्षिक दर रूपये 800.00।

3. ई-रिक्शा सवारी/भार वाहन चालक लाइसेंस वार्षिक दर रूपये 200.00।

4. ई-रिक्शा सवारी 4 सीटर (रिक्शा, मालिक किराये पर संचालन हेतु) प्रति ई-रिक्शा लाइसेंस वार्षिक दर रूपये 1,000.00।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर निगमों/नगर निकायों यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उप-विधि के किसी भी नियमों का उल्लंघन अथवा भंग करने वाले व्यक्ति पर रूपये 1,000.00 (रूपये एक हजार मात्र) का अर्थ दण्ड दिया जा सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो प्रथम अभियोग के सिद्ध होने के पश्चात् रूपये 5.00 प्रति दिवस अतिरिक्त अर्थदण्ड होगा।

गाजियाबाद नगर निगम

(I.S.O. 9001, 14001 & 18001 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः- 403 /न0आ0/2024-25 दिनांकः- 11/06/24

-: सार्वजनिक सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 में दिये गये प्राविधानो एवं शासन द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में:-

1. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 451, 452 व 541 (41) व (49) के अधीन नगर निगम सीमान्तर्गत चालित ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-भार वाहन के संचालन को विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु मा0 सदन की आहुत बैठक दिनांक 09.01.2024 में प्रस्ताव सं0-36 प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा0 सदन के द्वारा विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में उक्त के संबंध में बॉयलॉज तैयार कर लिया गया है।
2. शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-161सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 16.12.1997 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में ट्रेड लाईसेन्स मदों से छूटे हुए अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों यथाः जिम (सामान्य), जिम (वातानुकूलित), ब्यूटी पॉर्लर (सामान्य), ब्यूटी पॉर्लर (वातानुकूलित), कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान (मैट्रिक कक्षा तक को छोड़कर), चार्टर्ड एकाउण्टैन्ट कार्यालय, स्पा सेन्टर, सामान्य ज्वैलरी शौरूम, समस्त ब्रॉन्डेड ज्वैलरी शौरूम (Tanishq, Sinko etc.), समस्त ब्रॉन्डेड कपड़ा शौरूम (Raymond, Luis Phillipe etc.), समस्त ब्रॉन्डेड शू शौरूम (Liberty, Puma, Adidas, Skechers, Mochi etc), स्पोटर्स एकेडमी (क्रिकेट एकेडमी या टेनिस एकेडमी या अन्य एकेडमी आदि) एवं स्पोटर्स एकेडमी (संयुक्त रूप से एक से ज्यादा स्पोर्टस जैसे-क्रिकेट एकेडमी, टेनिस एकेडमी, बैडमिंटन एकेडमी आदि) पर नियमानुसार निर्धारित प्रस्तावित दरों के आधार पर ट्रेड लाईसेन्स निर्गत किये जाने हेतु मा0 सदन की आहुत बैठक दिनांक 09.01.2024 में प्रस्ताव सं0-37 प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा0 सदन के द्वारा विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से नियमानुसार बॉयलॉज तैयार किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त प्रस्तावित बायॅलॉजों का प्रारूप व अन्य विस्तृत जानकारी नगर निगम की वेबसाईट http://ghaziabadnagarnigam.in व नोटिस बोर्ड व नगर निगम मुख्यालय स्थित चतुर्थ तल कक्ष सं0-07 में किसी भी कार्यदिवस में अवलोकित की जा सकती है। यदि उपरोक्त के संबंध में किसी आमजन को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर नवयुग मार्केट स्थित नगर निगम मुख्यालय के चतुर्थ तल स्थित मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय कक्ष में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा।

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

906

देश की 30% कंपनियां तीन माह में कर्मी बढ़ाएंगी

भर्तियों की संभावना में भारत छठे स्थान पर

सर्वेक्षण

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत 2024 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए अपने रोजगार परिदृश्य के मामले में वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है। देश में 30 प्रतिशत कंपनियां अगले तीन महीनों में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही हैं। कार्यबल समाधान कंपनी मैनपावरग्रुप के एक वैश्विक सर्वेक्षण में यह बात कही गई।

भारत के शुद्ध रोजगार परिदृश्य (एनईओ) की गणना छंटनी की योजना बनाने वाले नियोक्ताओं की संख्या को नियुक्ति की योजना बनाने वाले नियोक्ताओं से घटाकर की गई। इससे सामने आया कि 30 प्रतिशत कंपनियां अगले तीन महीनों में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही हैं।

भारत अपने रोजगार परिदृश्य के लिए वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है, जो वैश्विक औसत से आठ अंक ऊपर है। यह सर्वेक्षण 42 देशों में किया गया है। वैश्विक स्तर पर, कोस्टा रिका में जुलाई-सितंबर के लिए सबसे मजबूत 35 प्रतिशत नियुक्ति की उम्मीद है। इसके बाद स्विट्जरलैंड में 34 प्रतिशत, ग्वाटेमाला में 32 प्रतिशत, मेक्सिको में 32 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका में 31 प्रतिशत कंपनियां अगले तीन महीनों में भर्तियां करने की योजना बना रही है।

उत्तर भारत में अधिक अवसर के आसार

मैनपावरग्रुप रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण में भारत में 3,150 नियोक्ताओं से उनकी तीसरी तिमाही की नियुक्ति संबंधी मंशा के बारे में पूछा गया। कुल मिलाकर उत्तर भारत में नियुक्ति की संभावना सबसे अधिक 36 प्रतिशत रही। इसके बाद पश्चिम में 31 प्रतिशत, दक्षिण में 30 प्रतिशत और पूर्व में 21 प्रतिशत नियोक्ताओं ने भर्ती करने की इच्छा व्यक्त की। आम धारणा के विपरीत करीब 68 प्रतिशत नियोक्ता अगले दो साल में एआई और मशीन लर्निंग को अपनाने के कारण कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसका नेतृत्व संचार सेवा क्षेत्र, वित्तीय और रियल एस्टेट, उद्योग व सामग्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र करेंगे।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स

76456 -33.49

टॉप गेनर

कंपनी	बंद	बदलाव%
एलटी	3600.35	1.64
टाटा मोटर्स	987.10	1.26

निफ्टी

23264 +05.65

टॉप गेनर

कंपनी	बंद	बदलाव%
ओएनजीसी	273.90	5.69
टाटा मोटर्स	986.15	1.75

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	71,950	+150
चांदी	90,700	-1400

करेंसी

डॉलर/रुपया

83.59 -00.09

इंडिगो में दो प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी

नई दिल्ली। इंटरग्लोब एविएशन की प्रवर्तक इकाई इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने मंगलवार को खुले बाजार के लेनदेन के जरिये एयरलाइन में दो प्रतिशत हिस्सेदारी 3,367 करोड़ रुपये में बेच दी। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 77,19,573 इक्विटी शेयर बेचे, जो इंटरग्लोब एविएशन में 1.99 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं.-1, नॉलेज पार्क-IV, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतमबुद्ध नगर – 201308, उ0प्र0
वेबसाइट : www.greaternoidaauthority.in, ई-मेल : authority@gnida.in

ांक : स्वा0वि0/2024/593 दिनांक : 11/06/2024

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ारी (निविदा सेल), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य कार्यपालक धिकारी, ग्रेटर नोएडा की ओर से ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-स्वा०वि०/ 24/592, दिनांक 11.06.2024 के माध्यम से उल्लेखित क्रम सं० : 01 से 02 में अंकित र्य की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा की समस्त नियम व शर्तें ग्रेटर एडा प्राधिकरण की वेबसाइटः WWW.greaternoidaauthority.in पर ई-निविदा क एवं ई-पोर्टल https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। किसी परिवर्तन, शोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइटें देखते रहें।

क.सं.	कार्य का नाम/वर्क सर्किल	अनुमानित लागत
1.	Processing of 50 TPD Wet Waste at Astauli, Greater Noida	To be quoted by Bidder
2.	Processing of 300 TPD Wet Waste at Astauli, Greater Noida	To be quoted by Bidder

क्त कार्यों की निविदा दिनांक 13.06.2024 से 26.06.2024 को 17:00 बजे तक अपलोड या जा सकता है एवं प्री-बिड बैठक दिनांक 19.06.2024 को दोपहर 03:00 बजे ग्रेटर एडा प्राधिकरण कार्यालय, भूखण्ड सं0-01, सैक्टर-नॉलेजपार्क-4, ग्रेटर नोएडा के ासनिक भवन में चतुर्थ तल पर उपरोक्त निविदा प्राप्त करने से पूर्व निविदा में प्रतिभाग रने वाली फर्मों/एजेंसियों की निविदा से पूर्व बैठक (Pre-Bid Meeting) की जायेगी या प्राप्त ई-निविदाओं की प्री-क्वालिफिकेशन बिड दिनांक 28.06.2024 को 11:00 बजे ली जायेगी।

गाजियाबाद नगर निगम

(I.S.O. 9001, 18001 एवं 19001 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः 403/न०आ०/2024-25 दिनांक : 11.06.2024

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 में दिये गये प्राविधानो एवं शासन द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में:-

1. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 451, 452 व 541 (41) व (49) के अधीन नगर निगम सीमान्तर्गत चालित ई-रिक्शा/ई-कार्टस/ई-मार वाहन के संचालन को विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु मा० सदन की आहुत बैठक दिनांक 09.01.2024 में प्रस्ताव सं0-36 प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा० सदन के द्वारा विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में उक्त के संबंध में बॉयलॉज तैयार कर लिया गया है।
2. शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-161सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 16.12.1997 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में ट्रेड लाईसेन्स मदों से छूटे हुए अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों यथाः जिम (सामान्य), जिम (वातानुकूलित), ब्यूटी पॉर्लर (सामान्य), ब्यूटी पॉर्लर (वातानुकूलित), कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान (मैट्रिक कक्षा तक को छोड़कर), चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट कार्यालय, स्पा सेन्टर, सामान्य ज्वैलरी शौरूम, समस्त ब्रॉन्डेड ज्वैलरी शौरूम (Tanishq, Sinko etc.), समस्त ब्रॉन्डेड कपड़ा शौरूम (Raymond, Luis Phillipe etc.), समस्त ब्रॉन्डेड शू शोरूम (Liberty, Puma] Adidas, Skechers, Mochi etc), स्पोर्टस एकेडमी (क्रिकेट एकेडमी या टेनिस एकेडमी या अन्य एकेडमी आदि) एवं स्पोर्टस एकेडमी (संयुक्त रूप से एक से ज्यादा स्पोर्टस जैसे-क्रिकेट एकेडमी, टेनिस एकेडमी, वैडमिंटन एकेडमी आदि) पर नियमानुसार निर्धारित प्रस्तावित दरों के आधार पर ट्रेड लाईसेन्स निर्गत किये जाने हेतु मा० सदन की आहुत बैठक दिनांक 09.01.2024 में प्रस्ताव सं0-37 प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा० सदन के द्वारा विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से नियमानुसार बॉयलॉज तैयार किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त प्रस्तावित बायेंलॉजों का प्रारूप व अन्य विस्तृत जानकारी नगर निगम की वेबसाईट http://ghaziabadnagarnigam.in व नोटिस बोर्ड व नगर निगम मुख्यालय स्थित चतुर्थ तल कक्ष सं0-07 में किसी भी कार्यदिवस में अवलोकित की जा सकती है। यदि उपरोक्त के संबंध में किसी आमजन को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर नवयुग मार्केट स्थित नगर निगम मुख्यालय के चतुर्थ तल स्थित मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय कक्ष में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त होने